

**लखनऊ में ड्राइवर की सेवा उपलब्ध करानेवाली एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाना**

सिडबी, लखनऊ में ड्राइवरों की सेवा प्रदान करने की इच्छुक प्रतिष्ठित एजेंसियों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित हैं। एजेंसियों ने विगत तीन निर्धारण वर्षों (निव 2016, 2017 और 2018) में से किसी एक में रु. 15 लाख का वार्षिक टर्नओवर हासिल किया हो। अर्हता-पूर्व मानदंड, निबंधन व शर्तें तथा कार्य का स्वरूप क्रमशः **अनुबंध I** व **अनुबंध I के अनुलग्नक** में उल्लिखित है। उक्त निबंधन व शर्तें 1 जून 2018 से 15 जून 2018 के बीच शनिवार व रविवार के अलावा किसी भी कार्यदिवस में 0945 बजे से 1730 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

**निविदाएं निम्नवत प्रस्तुत की जाएँ**-

आरएफई सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएँ, जिसमें एजेंसी के स्वरूप, ड्राइवर की व्यवस्था संभालने संबंधी अनुभव, वार्षिक टर्नओवर, आयकर निर्धारण आदि का विवरण और तत्संबंधी प्रलेखी प्रमाण संलग्न किए जाएँ। प्ररूप **अनुबंध II** में संलग्न है।

आरएफई के साथ रु. 18,000/- (रुपये अट्ठारह हजार मात्र) की अप्रतिदेय जमानत राशि जमा करायी जाए, जो ‘भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक’ के पक्ष में आहरित और लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में होनी चाहिए।

प्रस्तुत की जानेवाली आरएफई ‘महाप्रबंधक, प्रशासन वर्टिकल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी टावर, 5वाँ तल, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001’ को संबोधित हो और उस पर ‘सिडबी, लखनऊ में बैंक कार-ड्राइवर उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी’ अंकित हो। आरएफई हमें 15 जून 2018 को अधिकतम 1700 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। उक्त रूप में प्रस्तुत नहीं की गयी आरएफई स्वीकार नहीं की जाएगी। आरएफई 18 जून 2018 को 1500 बजे खोली जाएँगी। इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे आरएफई खोलने के समय उपस्थित रहें। किसी अथवा सभी आरएफई को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार बैंक को है।

महाप्रबंधक

प्रशासन वर्टिकल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

सिडबी टावर, 5वाँ तल

15 अशोक मार्ग

लखनऊ 226001

अनुबंध I

**अर्हता-पूर्व मानदंड**

|  |  |
| --- | --- |
| (1) | एजेंसी पिछले कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो। |
| (2) | एजेंसी को प्रतिष्ठित संस्थाओं, जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के बड़े संगठनों, रु. 100 लाख से अधिक टर्नओवर वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को श्रम-शक्ति प्रदायगी का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किन्तु बैंक को अधिकार है कि प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वह बिक्री के टर्नओवर संबंधी मानदण्ड को संशोधित कर दे। |
| (3) | विगत तीन निर्धारण वर्षों यानी 2016, 2017 और 2018 में से किसी एक में एजेंसी ने रु. 15 लाख का वार्षिक टर्नओवर प्राप्त किया हो। संबंधित आयकर विवरणी/तुलनपत्र/ लाभ-हानि लेखा-विवरण की प्रति संलग्न करें। |
| (4) | एजेंसी का आय-कर निर्धारण होता हो और उसने निर्धारण वर्ष 2018 की आय-कर विवरणी प्रस्तुत की हो। यदि एजेंसी आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त हो तो आयकर विभाग द्वारा जारी छूट-प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए। |
| (5) | एजेंसी यदि भागीदारी फर्म हो तो फर्म रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत भागीदारी विलेख और यदि वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो कंपनी-रजिस्ट्रार का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। |
| (6) | जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। |

जो एजेंसियाँ उक्त अर्हता-पूर्व मानदंडों के अनुसार अर्ह हों और अनुलग्नक में दिए गए निबंधनों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हों वे अलग से सीलबंद लिफाफे में अपनी आरएफई प्रस्तुत करें। लिफाफे पर “सिडबी प्र.का., लखनऊ में ड्राइवर की सेवा उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी हेतु आरएफई- समाचारपत्र विज्ञापन दिनांक 01 जून 2018” अंकित हो।

**अनुबंध I का अनुलग्नक**

**ड्राइवर की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी सूचीबद्ध करने संबंधी**

**निबंधन व शर्तें/कार्य का स्वरूप**

1. सूचीबद्धता सिडबी में सूचीबद्ध किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगी। कार्यनिष्पादन समीक्षा के संतोषजनक रहने पर इसे आगे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सिडबी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए/नोटिस दिए किसी भी समय सूचीबद्धता को समाप्त कर दे। इस प्रकार के समापन से सेवा-एजेंसी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा हर्जाने का दावा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।
2. सेवा-एजेंसी सिडबी, लखनऊ में सिडबी के पदाधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही कार्यालय की कारों के लिए ड्राइवर (3 व्यक्ति) प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। प्रत्येक ड्राइवर केवल सोमवार से शनिवार तक 8 घण्टे की ड्यूटी करेगा। 8 घण्टे से अधिक की ड्यूटी होने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पात्रतानुसार ओवरटाइम देय होगा। किन्तु ज़रूरत पड़ने पर बैंक अनुमोदित दर पर ड्राइवरों की संख्या घटा अथवा बढ़ा सकता है।
3. सेवा-एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इस उद्देश्य हेतु लगाए गये व्यक्ति समय पर काम पर आएँगे और यदि वे अनुपस्थित होते हैं तो उनका काम करने के लिए उपयुक्त एवज़ी लगाया जाएगा। एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि (i) ड्राइविंग के लिए लगाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज़ हो और कोई आपराधिक जाँच न चल रही हो। (ii) ड्यूटी के दौरान उक्त व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा और (iii) उक्त व्यक्तियों की दूर की नज़र इस सेवा के लिए उपयुक्त हो। इस संबंध में एजेंसी किसी नेत्र-विशेषज्ञ का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे। यदि काम पर लगाया गया व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया तो इसे बैंक के प्रति संविदा-भंग समझा जाएगा और बैंक द्वारा एजेंसी को सूचित किए जाने के बाद ऐसा व्यक्ति कभी दुबारा बैंक की सेवा में नहीं भेजा जाएगा।
4. सेवा-एजेंसी एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें ड्राइविंग की सेवा-प्रदायगी के घंटे और माइलेज़ की प्रविष्टि की जाएगी। यह रजिस्टर मासिक आधार पर बिल-प्रस्तुति के समय प्रस्तुत किया जाएगा।
5. सेवा-एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि लगाए गए व्यक्ति जब भी ड्यूटी पर होंगे उस समय वे हमेशा अपना वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर चलेंगे।
6. सेवा-एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि लगाए गए व्यक्ति साफ वर्दी पहनें, उनका व्यवहार शिष्ट और शालीन हो।
7. सेवा-एजेंसी जो भी व्यक्ति लगाएगी उनके पुलिस सत्यापन और उनकी पहचान के लिए एजेंसी खुद जिम्मेदार होगी।
8. सेवा-एजेंसी लगाए गये व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करेगी, जिसकी एक प्रति वह सिडबी के अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेगी।
9. कार्यालय की जिन कारों के लिए ये व्यक्ति लगाए जाएँगे, वे पूरी तरह से सेवा-एजेंसी की देखरेख और पर्यवेक्षण में रहेंगी। कार्यालय की इन कारों को होनेवाले किसी भी नुकसान या गुमशुदगी की पूरी जिम्मेदारी सेवा-एजेंसी की होगी। कार्यालय की कारों के रखरखाव और उन्हें पूर्णतया चालू हालत में रखने के लिए सेवा-एजेंसी सिडबी की संतुष्टि-अनुसार व्यवस्था करेगी।
10. सेवा-एजेंसी कार्यालय की कारों की सर्विस समयावली/मोबिल बदलने/ईंधन भराने का ब्यौरा रखेगी और अपेक्षित सर्विस/रख-रखाव के बारे में बैंक को समय रहते सूचित करेगी।
11. सेवा-एजेंसी उपर्युक्त रूप में जिन व्यक्तियों को नियुक्त करेगी वे हमेशा उक्त सेवा-एजेंसी के कर्मचारी रहेंगे और बैंक के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की दावेदारी नहीं होगी। उनके कृत्यों, भूल-चूक अथवा कार्यों के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति बैंक किसी भी प्रकार से या किसी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
12. सेवा-एजेंसी जिन व्यक्तियों को लगाएगी, उनके संबंध में वह सभी श्रम-कानूनों का पालन करेगी।
13. इस संबंध में सेवा-एजेंसी **ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन)अधिनियम, 1970; भारत सरकार न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948; ईपीएफ; ईएसआई तथा अन्य सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं** का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। सिडबी न तो किसी मामले में स्वयं शामिल होगा, न ही आवश्यक विनियमों/ कानूनों का अनुपालन न होने के कारण पैदा होनेवाली कमियों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी होगा। नियोजन के दौरान अथवा नियोजन के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी आदि अथवा समय-समय पर लागू अन्य संविधियों के अंतर्गत जिन मौद्रिक अथवा अन्य लाभों के लिए एजेंसी के कार्मिक पात्र होते हैं उनके संबंध में एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करती है। संविदा का काम करने के लिए सेवा-एजेंसी द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के साथ बैंक का कोई संविदात्मक संबंध नहीं होगा।
14. सेवा-एजेंसी द्वारा लगाए गये व्यक्तियों को बैंक की ड्यूटी करते समय यदि कोई चोट लगती है अथवा उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचती है तो बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
15. सेवा-एजेंसी के कार्य-निष्पादन के संबंध में बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन और निर्णय अंतिम तथा सेवा-एजेंसी के लिए बाध्यकर होगा।
16. सेवा-एजेंसी से अपेक्षित होगा कि वह भुगतान के लिए कम से कम 5 सप्ताह का समय दे।
17. बैंक खास तौर से निम्नलिखित, किन्तु इनके अलावा भी किसी स्थिति में एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकता हैः
18. एजेंसी द्वारा धोखाधड़ी,
19. संविदा-शर्तों में एजेंसी की ओर से गंभीर चूक,
20. सिडबी से प्राधिकृत कराए बिना उप-संविदा,
21. असंतोषजनक सेवाएं,
22. सामान्य निबंधनों व शर्तों का उल्लंघन,
23. लगाए गए व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार अथवा घोर लापरवाही।

------------

**अनुबन्धII/Annexure II**

**ड्राइवर की सेवाएं उपलब्ध करानेवाली एजेंसी द्वारा सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन प्ररूप**

**APPLICATION FORMAT FOR SUBMITTING INFORMATION BY THE AGENCY**

**PROVIDING DRIVER-SERVICES**

प्रेषक/From,

......................................................

......................................................

......................................................

सेवा में,

**महाप्रबन्धक,**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रशासन वर्टिकल

सिडबी टावर

15 अशोक मार्ग

लखनऊ- 226001

To,

**The General Manager,**

Small Industries Development Bank of India,

Administration Vertical

SIDBITower

15, Ashok Marg

Lucknow - 226 001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रमांक**  **Sl. No.** | **मद/Particulars** | **एजेंसी द्वारा भरे जाने वाले विवरण**  **Details to be filled in by the Agency** |
| 1 | एजेंसी / संपर्क हेतु उपलब्ध व्यक्ति का नाम  Name of the Agency / Contact Person |  |
| 2 | एजेंसी के पंजीकृत कार्यालय/स्थानीय कार्यालय का पता  Regd. office/Local address of the Agency | पंजीकृतपता/Regd. Address :  स्थानीय पता/Local Address : |
| 3 | निगमन/स्थापना की तारीख  Date of Incorporation/Constitution |  |
| 4 | एजेंसी की पैन/टैन सं.(प्रतियाँ संलग्न करें)  PAN/TAN Nos. of the Agency (attach copies) |  |
| 5 | जीएसटी पंजीकरण सं. /GST Registration No.  (प्रति संलग्न करें/Attach copy) |  |
| 6 | क्या फर्मों के पंजीयक के पास पंजीकृत है/ पंजीकरण की तारीख ***(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)***  Whether registered with Registrar of Firms/ Date of Registration***(Attach copy of registration)*** |  |
| 7 | यदि साझेदार फर्म है तो फर्मों के पंजीयक में पंजीकृत साझेदार विलेख जमा करें। यदि एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी-पंजीयक का पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करें।  In case of partnership firm, partnership deed registered with Registrar of Firms may be submitted OR in case the agency is private limited company, the registration certificate with Registrar of Companies should be submitted. |  |
| 8 | क्या एजेंसी को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ उपक्रमों, 100 लाख रुपये के वार्षिक बिक्री टर्नओवर वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को श्रमिक प्रदान करने का 3 वर्ष का अनुभव है?**(वर्क आर्डर की प्रति संलग्न करें)**  Whether the Agency has 3 years experience in providing **Drivers** Services to reputed organisations like All India Financial institutions, public sector banks / undertakings, MNCs and large private sector companies with annual sales turnover of ` 100 lakh ? **(Attach copy of Work Orders)** |  |
| 9 | क्या एजेंसी न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम आदि की सभी सांविधिक आवश्यकताएँ पूरा करती है। **(पंजीकृत प्रमाण-पत्र /लाइसेन्स की प्रति संलग्न करें)**  Whether the Agency meets by all statutory requirement as per Minimum Wages Act, Employee Provident Fund Act, Workmen Compensation Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act etc. as applicable.**(Attach copy of registration certificate / license)** |  |
| 10 | क्या श्रमिक विभाग के साथ पंजीकृत है? पंजीकरण की तारीख **(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)**  Whether registered with Labour Department ? Date of Registration **(Attach copy of registration)** |  |
| 11 | क्या एजेंसी ने पिछले तीन निर्धारण-वर्षों में से किसी में (निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18) रुपये 15.00 लाख से अधिक का वार्षिक विक्रय पण्यावर्त प्राप्त किया है?**(सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लाभ-हानि लेखे की प्रति संलग्न करें)**।  Whether the Agency has achieved annual sales turnover of `15.00Lakh in any of the last three Assessment Years (AY 2015-2016, 2016-17 and AY 2017-18 **(Attach copy of P&L A/C certified by Chartered Accountant)** |  |
| 12 | क्या एजेंसी आय-कर निर्धारिती है, जिसने पिछले तीन निर्धारण वर्षों (निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18) की आय-कर विवरणियाँ जमा की **हैं। (आय-कर विवरणियों की प्रति संलग्न करें)**  Whether the Agency is an Income Tax Assessee having filed its Income Tax return for the last three Assessment Years (AY 2015-2016, 2016-17 and AY 2017-18 (**Attach copy of Income Tax Returns)** |  |

मैं/हम अनुबंध I के अनुलग्नक में बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों /कार्य के स्वरूप से अनुबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I / We agree to abide by the terms and conditions stipulated by the Bank and mentioned in the **Appendix to Annexure I**.

मैं/हम संविदा श्रम अधिनियम, 1970, ईपीएफ, ईएसआई की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में अन्य समस्त सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि आवश्यक विनियमों/विधियों का अनुपालन न होने के कारण उत्पन्न किन्हीं कमियों के लिए किसी मामले में सिडबी न तो शामिल होगा, न ही उत्तरदायी होगा।

I / We also undertake to ensure compliance with the requirements of Minimum Wages Act, Contract Labour Act, 1970, EPF, ESI and also abide by all the other statutory requirements necessary in this regard. I / We agree that SIDBI would neither involve itself in any matters nor be responsible for any shortcomings arising out of the noncompliance of the necessary regulations / laws.

दिनांक / Date:

हस्ताक्षर / SIGNATURE

फर्म /एजेंसी का नाम एवं सील/Name and Seal of the firm / Agency